114

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 138/2010 दायर दिनांक–26.07.2010

1. गायत्री देवी पुत्री डूंगा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा
2. सुलोचना पुत्री डूंगा पत्नी नवलकिशोर शर्मा
3. सुशील शर्मा पुत्र डूंगा पत्नी रतन कुमार शर्मा समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड तहसील नवलगढ़।

– वादी

बनाम

1. आशुतोष जोशी पुत्र दिनेश कुमार जोशी
2. रामनारायण पुत्र सत्यनारायण
3. पुष्पा पुत्री सत्यनारायण
4. कौशल्या पत्नी सत्यनारायण
5. लता देवी पत्नी संतोष
6. पिंकू पुत्री संतोष
7. अमित कुमार पुत्र संतोष
8. विकास पुत्र संतोष
9. राजकुमार पुत्र डूंगा समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़।
10. शशी शर्मा पुत्री डूंगा पत्नी श्री मक्खन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़।
11. लक्ष्मी शर्मा पुत्री डूंगा पत्नी जनार्दन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़।
12. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री प्रदीप झाझड़िया
वकील प्रतिवादी :– श्री चंद्रकांत शर्मा

<u>दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी अधिकार, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 को वादीगण के अधिकारों पर बेअसर घोषित करने</u>

–:: निर्णय ::–

दिनांक–21.02.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 830 रकबा 0.62 है0 अवस्थित है उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा थे। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 11 की पैत्रिक संपति है। जिसे आगे वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 11 के पूर्वज डूंगा पुत्र सागरमल की खातेदारी की भूमि रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 11 के परिवार का सजरा खानदान वादपत्र की मद संख्या 2 में अंकित है। स्व0 डूंगा पुत्र सागरमल के पांच पुत्रियां वादीगण व प्रतिवादी नं0 10 व 11 व तीन पुत्र सत्यनारायण राजकुमार संतोष कुमार हुये सत्यनारायण के वारिस प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 है तथा संतोष कुमार के वारिस प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 है।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज भूमि [illegible] नं0 2 लगायत 11 पैत्रिक संपति है। उक्त संपति पूर्व में वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 [illegible] पूर्वज डूंगाराम की संपति थी वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 11 हिंदू [illegible] अनुसार स्वर्गीय डूंगाराम के प्रथम अनुसूची के वारिस है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार [illegible] भूमि वादीगण का बराबर बराबर 1/8–1/8 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी नं0 [illegible] लगायत 8 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी नं0 9 का 1/8 हिस्सा, प्रति[illegible] नं0 10 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नं0 11 का 1/8 हिस्सा है परन्तु डूंगाराम के फौत होने के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड राजस्व अधिकारीयों व कर्मचारियों ने बिना वारिसान की जांच किये ही विधि विरूद्व तरीके से अकेले प्रतिवादी नं0 2 व 3 के पिता प्रतिवादी नं0 4 के पति सत्यनारायण व प्रतिवादी नं0 5 के पति व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

स.क. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

115

प्रतिवादी 6 लगायत 8 के पिता संतोष कुमार के नाम से गलत बना दिया तथा संतोष के फ़ौत होने पर वादग्रस्त भूमि में संतोष के स्थान पर प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 के नाम, दर्ज कर दया जो गलत दर्ज किया है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किसी को कोई हक अधिकार नही मिलते है। वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 11 स्व डूंगाराम के वारिस है जिनका उत्तराधिकार के अनुसार बराबर बराबर हक हिस्सा है परन्तु स्व0 डूंगाराम के फौत होने पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड राजस्व कर्मचारियों ने बिना वारिसान की जांच किये ही विधि विरूद्ध तरीके से बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही अकेले प्रतिवादी नं0 2 व 3 के पिता व प्रतिवादी नं0 3 के पति सत्यनारायण व प्रतिवादी नं0 5 के पति व प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 के पिता संतोष कुमार के नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 11 स्व0 डूंगाराम के कानूनी वारिस है जिनका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार अअपने पिता व दादा की संपति में बराबर बराबर हक व हिस्सा है इसलिए वादीगण को वादग्रस्त भूमि में बराबर बराबर 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उक्त वाद बाबत खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा का पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त विवादग्रस्त भूमि का स्व0 डूंगाराम के फौत होने पर बने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर किसी को कोई हक अधिकार नही मिलते है परन्तु प्रतिवादी नं0 2 लगायत 8 ने वादग्रस्त भूमि में अपना नाम गलत दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि में अपना नाम गलत दर्ज होन का नाजायज फ़ायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 को प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में उप पंजियक कार्यालय में पजिकृत करवा दिया है जबकि प्रतिवादी नं0 2 लगायत 8 को वादग्रस्त भूमि 1/4 हिस्से की भूमि को ही विक्रय करने का अधिकार था। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि न तो कभी प्रतिवादी नं0 2 लगायत 8 को हस्तांतरित की है और ना ही कभी विक्रय करने के लिए अधिकृत किया है। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 8 को अपने 1/4 हिस्से तक की भूमि का ही विक्रय पत्र बनवाने का अध्किार प्राप्त था। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 8 ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में पंजिबद्व करवाया है जो एक प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभावी दस्तावेज है। जिसके आधार पर किसी को कोई हक अधिकार नही मिलते है इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 को वादीगण के हक अधिकारों पर बेअसर घोषित किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि में बराबर बराबर 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश है। उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 830 रकबा 0.62 है0 का प्रतिवादी नं0 2 लगायत 8 ने बिना किसी हक अधिकार के अपने 1/4 हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 को प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में पंजीबद्व करवाया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 31.05.2010 को उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम से दर्ज करवा लिया। जिसके आधार पर प्रतिवादी नं0 1 उक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय करना चाहता है। दिनांक 5.7.2010 को वादीगण जब अपनी उपरोक्त वादग्रस्त पैतृक संपति को संभालने आई तो प्रतिवादी नं0 1 ने धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि मेरे नाम है मै उक्त भूमि का विक्रय करूंगा।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम झाझड की सरहद में स्थित भूमि नये खसरा नम्बर 830 रकबा 0.62 है मे वादीगण को बराबर बराबर 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 जो प्रतिवादी नं0 2 लगायत 8 ने प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में तस्दीक करवाया है जो प्रारम्भ से शून्य प्रभावी दस्तावेज है को वादीगण के हक अधिकारों पर बेअसर घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 के आधार पर वादग्रस्त भूमि को रहन व विक्रय नही करें या अन्य किसी को हस्तांतरित नही करे।

जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:– यह कथन गलत है कि भूमि वादीगण व अनावेदक नं0 2 लगायत 11 की पैत्रिक संपति है। वादीयागण का उक्त भूमि से कभी कोई संबंध नही रहा है तथा वादीयागण का इस भूमि से कभी कोई हक व हिस्सा रहा है ना ही वादीयागण का काश्त व कब्जा रहा। वादीयागण ने जो वंशावली पेश की है वह गलत है। उक्त वाद पत्र में वादियागण व प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 11 के जो हिस्सा दर्ज किये है वह भी गलत है। बल्कि सही यह है कि भूमि खसरा नम्बर 830 मे 1/2 हिस्सा सत्यनारायण का तथा 1/2 हिस्सा संतोष कुमार का था। इसी अनुसार काश्त व कब्जा था तथा इसी अनुसार लगातार राजस्व रिकॉर्ड मे सत्यनारायण व संतोष कुमार के वारिसानों ने अपने हक स्वामित्व व मालिकाना हक की भूमि जिनका राजस्व रिकॉर्ड भी इन्ही के नाम से था ने दिनांक 24.11.2009 को अपना संपूर्ण हिस्सा 1,17000 रूपये मे जबाबदेहंदा नं0 1 को विक्रय कर पूर्ण प्रतिफल देकर विधि अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर जबाबदेहंदा को संभला दिया। जिस पर बाद खरीद जबाबदेहंदा शांतिपूर्वक काश्त व काबिजं है। यह तथ्य गलत है कि डूंगाराम के फौत होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

(सत्य प्रतिलिपि) (प्र.न्या.) न्यायालय

116

राजस्व कर्मचारियों ने बिना वारिसान की जांच किये विधि विरूद्व तरीके से अनावेदकगण नं0 2 व 3 व 4 के पति सत्यनारायण व अनावेदक 5 के पति व 6 लगायत 8 के पिता संतोष कुमार के नाम गलत बना दिया। बल्कि डूगाराम के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों ने पूर्ण जाच करके नामांतरण भरा था जो सही भरा था तथा संतोष के फौत होने पर उसके वारिसानों के नाम रिकॉर्ड सही बनाया है। राजस्व अधिकारीयों ने मौके की जांच कर राजस्व रिकॉर्ड बनाया है। यह तथ्य गलत है कि वादीगण का इस भूमि में हक व हिस्सा हो। वादीयागण का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है तो उन्हे खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का सवाल ही पैदा नही होता है। वादीया नं0 1 की शादी 1961 मे वादीया नं0 2 की शादी 1978 वादीया नं0 3 की शादी 1982 को सत्यनारायण व संतोष ने ही की थी। वादीयागण की शादी के वक्त काफी पैसा खर्च कर सोने के आभूषण व नकद रूपये दिये थे। जो सामाजिक परिपाटी के अनुसार पिता की जायदाद मे लडकी के हिस्से से ज्यादा उसकी शादी में खर्च किया जाता है एवं शादियों में भाइयों ने काफी खर्चा किया। शादी के बाद से वादीयागण कभी भी जमीन पर नही आई। ना ही उसका कब्जा व काश्त रहा है।

अतिरिक्त उत्तर

वादिया के नाम इस भूमि का राजस्व रिकॉर्ड कभी भी नही बना ना ही राजस्व रिकॉर्ड वादियागण के नाम रहा। इसलिए वादीयागण को उक्त वाद पेश करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। खातेदार सत्यनारायण व खातेदार संतोष कुमार के वारिसानों ने अपने हक स्वामित्व कब्जे व खातेदारी की विवादित भूमि विधि अनुसार 1,17000 रूपये में जबाबदेहंदा नं0 1 को विक्रय कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक करवाया। जिस पर अनावेदक नं0 1 बाद खरीद काश्त व काबिज है। बादखरीद कब्जे व मौके की जांच करके रिकॉर्ड जबाबदेहंदा नं0 1 के नाम नामांतरण तस्दीक हुआ है। इससे स्पष्ट है कि कब्जा जबाबदेहंदा नं0 1 का है इस प्रकार जबाबदेहंदा नं0 1 विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विधि अनुसार सही बना है जिसको जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा लेते तब तक वादियागण कोई सिद्वि प्राप्त करने की अधिकारी नही है तथा श्रीमान के न्यायालय को विक्रय पत्र निरस्त करने का क्षैत्राधिकार नही है। विक्रय पत्र को निरस्त केवल सिविल न्यायालय कर सकता है। विवादित भूमि पर वादियागण का कभी कोई कब्जा नही रहा है तथा वादीयागण ने कब्जा प्राप्त करने की सिद्वि भी नही चाही है इसलिए कब्जे के अभाव में उक्त वाद मेनटेबल नही है व खारिज होने योग्य है। वादिया के नाम कभी राजस्व रिकॉर्ड में नही रहा वादियागण ने इतने वर्षो तक राजस्व रिकॉर्ड को आज तक चैलेंज क्यों नही किया कही अंकित नही है इसलिए वादीयागण का वाद स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीयागण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण ग्राम झाझड की भूमि खसरा नम्बर 830 रकबा 0.62 है0 में वादीगण को बराबर बराबर 1/8, 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने का अधिकारी है।

भा.स.वादीगण

2. आया वादीगण विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 जो प्रतिवादी सं0 2 लगायत 8 ने प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बिना हक अधिकार के पंजिबद्व करवाया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी दस्तावेज है को वादीगण के हक अधिकारों पर बेअसर घोषित करवाये जाने का अधिकारी है।

भा.स.वादीगण

3. आया प्रतिवादी नं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 के आधार पर वादग्रस्त भूमि को रहन व विक्रय नही करें या अन्य किसी प्रकार से हस्तानांतरण नही करें।

भा.स.वादीगण

4. आया वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड कभी भी वादीगण के नाम से नही बना इसलिए वादीगण को उक्त वाद पेश करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है।

भा.स.प्रतिवादी

5. आया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विधि अनुसार सही बना है जिसको जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा लेते तब तक वादीगण को कोई सिद्वि प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

भा.स.प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

व.सी.जे.एम.(फा.ट्रै.)
[illegible]

6. आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कभी कोई कब्जा नही रहा तथा वादीगण ने कब्जा प्राप्त करने की सिद्वि भी चाही है इसलिए वाद मेन्टेबल नही है, खारिज योग्य है।

7. दादरशी:–

भा.स.प्रतिवादी

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री चंद्रकांत शर्मा उप0। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु सुलोचना देवी, गायत्री शर्मा तथा शहादत प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी की ओर से दिनेश व आशुतोष के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2030–2033 प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी चालू प्रदर्श 4 विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 830 रकबा 0.62 है0 डूंगा की खातेदारी की भूमि है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उत्तराधिकार मे सभी आठो को मिली थी जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलनी थी लेकिन मृत्यु होने के बाद 5 बेटियों का नाम नही आया सिर्फ 3 पुत्रों के नाम ही दर्ज रही। 24.11.2009 को विक्रय पत्र 2 लगायत 8 ने प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में करवा दिया जो शुन्य प्रभावी व बेअसर घोषित किया जावे। उक्त दावा को सिविल कोर्ट ने क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया। वादी नं0 3 सुशील शर्मा लिखा है जबकि सुशीला शर्मा है जो डूंगा की पुत्री है। जबाब बहस में वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि सिविल कोर्ट में भी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रजिस्ट्री निरस्त का समान ही दावा पेश किया। जो कि खारीज हो चुका है जिसकी अपील नही कि गई है ना ही सीपीसी आदेश 7 नियम 10 की पालना की गई है। खातेदारी घोषणा के लिए सबसे जरूरी कब्जा है। न तो वादी का कब्जा रहा है ना ही उन्होंने कब्जा प्राप्त करने का दावा पेश किया है। बयानों में दिनेश शर्मा का कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः कब्जा वादी का होना साबित नही है। डूंगाराम की मृत्यु के नामांतरण की कोई अपील 30 दिन में नही की गई है। मृतक व्यक्ति के खिलाफ दावा अबैट हो चुका है। पुष्पा, कौशल्या का जन्म डूंगाराम के पिता फौत होते समय वादिया का जन्म नही हुआ। इस कारण भूमि का पैत्रिक होना साबित नही है। रिब्यूटल में वकील वादी ने कहा कि तनकी कब्जा के संबंध में हमारे पक्ष में साबित है कब्जा हक अधिकार में निहित है जो जन्म लेते ही पैदा हो जाता है।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

- तनकी नम्बर 1 :– उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण के अनुसार वादीगण को बराबर बराबर 1/8, 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया द्वारा डूंगाराम के फौत होने पर भरे गये नामांतरण को गलत भरना बताते हुए चैलेंज किया है जबकि पत्रावली में उक्त नामांतकरण की नकल/सत्यप्रतिलिपि पेश नही कि है ना ही डूंगाराम से पूर्व उक्त भूमि किसके नाम दर्ज थी उसका कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे उक्त भूमि पैत्रिक साबित होती है। डूंगाराम के बाद उक्त भूमि किस आधार पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है उसका कोई दस्तावेज मौजूद नही [illegible] करने में सफल नही रही है। अतः तनकी संख्या 01 वादिया के खिलाफ निर्धारित [illegible]
- तनकी नम्बर 02 लगायत 06 :– वादिया [illegible] मुख्य अनुतोष [illegible] खसरा नम्बर के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने [illegible] में वादिया पूर्णतया असफल रही है। अतः उक्त तनकीयों को निर्धारित [illegible]

फलस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद वादी अस्वीकार/खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

:: **आदेश** ::

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर०ए०एस०)

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी अधिकार, स्थाई निषेधाज्ञा एवं
विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2009 को वादीगण के अधिकारों पर बेअसर घोषित करने

मुकदमा सं0:– 138 / 2010 **(गायत्री देवी बनाम आशुतोष आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर०ए०एस०), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.02.2025 को जारी की।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	0.00
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:02 IST
Reason: SelfAttested